REGD. No. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072025-264308 CG-DL-E-02072025-264308

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 395] नई दिल्ली, मंगलवार , जुलाई 1, 2025/आषाढ़ 10, 1947 No. 395] NEW DELHI,TUESDAY , JULY 1, 2025/ASHADHA 10, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली,1 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 438(अ).—प्रारूप नियम अर्थात् परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) द्वितीय संशोधन नियम, 2024 को शामिल करके प्रारूप अधिसूचना को भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 499(अ) तारिख 14 अगस्त, 2024 के अधीन प्रकाशित किया गया था, जिसमें उससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिनों की समाप्ति से पहले आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारिख 14 अगस्त, 2024 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

**और** उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में उक्त अवधि के भीतर जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विधिवत् रूप से विचार किया गया है;

**अत: अब,** केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-  (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) संशोधन नियम, 2025 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2026 को प्रभावी होंगे।

2. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016 (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त नियमों कहा गया है) में अध्याय VII के पश्चात निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातु:-

## 'अध्याय VIII

## अलौह धातुओं के स्क्रैप के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व

44. परिभाषाएँ.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) **"थोक उपभोक्ता"** से किसी विशेष वित्तीय वर्ष में किसी भी समय अनुसूची- X में सूचीबद्ध कम से कम एक हजार टन अलौह धातु उत्पादों का उपयोग करने वाली किसी भी इकाई से है और इसमें ई-खुदरा विक्रेता भी शामिल है अभिप्रेत है;

(ख) **"व्यवसाय"** से इस अध्याय की अनुसूची-X में सूचीबद्ध अलौह धातुओं के उत्पादन, विनिर्माण, पुनर्चक्रण, उपचार, निपटान, बिक्री या आयात के किसी भी कार्यकलाप से और अलौह धातुओं का नवीनीकरण, अनुसूची- XII में सूचीबद्ध अनुसार नवीनीकरण की अनुमति दी गई है, अभिप्रेत है;

(ग) "संग्रहण बिंदु" से वह सुविधा अभिप्रेत है जहां पंजीकृत संग्रह एजेंट अलौह धातुओं के स्क्रैप को एकत्र करेगा;

(घ) "संग्रह एजेंट" से ऐसा व्यक्ति या इकाई अभिप्रेत है जो अलौह धातुओं के स्क्रैप को एकत्र करता है;

(ड.)**"प्रयोग अवधि समाप्ति"** उस समय से अभिप्रेत है जब नवीनीकृत उत्पादों सहित उत्पाद को इच्छित प्रयोजन के प्रयोग से हटा दिया जाएगा;

(च)**"स्क्रैप का पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन"** से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना अभिप्रेत है कि अलौह धातुओं के स्क्रैप का प्रबंधन सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए किया जाए, ताकि संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण या निपटान के दौरान होने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव, हानि, क्षति या चोट से बचा जा सके;

(छ)**"विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व"** से इस अध्याय के अधीन अनुसूची-XI के अंतर्गत अलौह धातु उत्पादों के पुनर्चक्रण लक्ष्यों को प्राप्त करने का उत्पादक का उत्तरदायित्व अभिप्रेत है;

(ज)"**सुविधा**" से कोई ऐसा स्थान से अभिप्रेत है, जहां अलौह धातुओं के स्क्रैप के संग्रहण, प्राप्ति, भंडारण, पृथक्करण, पुनर्चक्रण, नवीनीकरण, निपटान और उपचार से संबंधित कार्रवाई की जा रही है;

(झ)**"दिशानिर्देश"** से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार और जारी किया गया एक दस्तावेज अभिप्रेत है, जिसमें अलौह धातुओं के स्क्रैप के प्रबंधन, संग्रहण, भंडारण, परिवहन भंडारण और इसके पुनर्चक्रण सहित पर्यावरण की दृष्टि से उचित प्रबंधन के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं का विवरण दिया गया है;

(ञ)**"विनिर्माता"** से कोई व्यक्ति या संस्था या कंपनी अभिप्रेत है जो अलौह धातुओं के उत्पादों या घटकों या पुर्जों आदि के विनिर्माण की सुविधाएं हैं, जिनका उपयोग उत्पादक इन नियमों की अनुसूची-X में यथा विनिर्दिष्ट ढंग से करते हैं;

(ट)"अलौह धातु" से इन नियमों के प्रयोजनों के लिए एल्युमिनियम या तांबा या जस्ता या उनकी मिश्रधातुओं से अभिप्रेत है;

(ठ)**"परित्यक्त उत्पाद"** से इन नियमों की अनुसूची-X में सूचीबद्ध गैर-ब्रांडेड उत्पाद है, या वे उत्पाद अभिप्रेत है जो किसी ऐसी कंपनी द्वारा उत्पादित हैं जिसने अपना प्रचालन बंद कर दिया है ।

(ड)**"पोर्टल"** से इन नियमों के अनुपालन के प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ऑनलाइन प्रणाली से अभिप्रेत है;

(ढ) **"उत्पाद"** से इन नियमों की अनुसूची-X में सूचीबद्ध अलौह धातुओं से युक्त कोई भी उत्पाद अभिप्रेत है;

(ण)**"उत्पादक"** से किसी भी व्यक्ति या संस्था से अभिप्रेत है, चाहे वह किसी भी विक्रय तकनीक का उपयोग करता हो जैसे डीलर, खुदरा विक्रेता, ई-खुदरा विक्रेता, जो, -

i. अलौह धातुओं से बने उत्पादों और उनके घटकों या उपभोज्य या भागों या पुर्जों का विनिर्माण करता है और अलौह धातुओं का उपयोग करके उन्हें अपने ब्रांड के अधीन बेचने की पेशकश करता है; या

ii. अलौह धातुओं से बने उत्पादों और उनके घटकों या उपभोज्य सामग्रियों या अन्य निर्माताओं या आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उत्पादित भागों या जो को अलौह धातुओं का उपयोग करके अपने ब्रांड के अधीन बेचने की पेशकश करता है; या iii.अलौह धातुओं से बने आयातित उत्पादों और उनके घटकों या उपभोज्य सामग्रियों या भागों या पुर्जों को अलौह धातुओं का उपयोग करके अपने स्वयं के ब्रांड या मूल ब्रांड के अधीन बेचने की पेशकश करता है; या

iv. जो प्रयुक्त उपकरणों या उत्पादों या अलौह धातुओं के स्क्रैप का आयात करता है।

(त) **"पुनर्चक्रण"** से इन नियमों के अनुसूची-X में सूचीबद्ध जीवन समाप्ति उत्पादों के पिघलने और शोधन की किसी भी प्रक्रिया से अभिप्रेत है, जो अलौह धातुओं से बनी है और पर्यावरण की दृष्टि से उचित तरीके से मूल्यवर्धित उत्पादों या पुनर्चक्रित धातुओं और मिश्र धातुओं का उत्पादन करती है और जिसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मानक संचालन प्रक्रिया या दिशानिर्देशों में विस्तृत सुविधाएं हैं;

(थ)**"पुनर्चक्रणकर्ता"** से किसी भी व्यक्ति या संस्था अभिप्रेत है जो अलौह धातुओं के स्क्रैप के पुनर्चक्रण की प्रक्रिया में लगा हुआ है;

(द) **"पुनर्चक्रण लक्ष्य"** से इन नियमों के अनुसूची-XI के उपबंधों के अनुसार पुनर्चक्रित किए जाने वाले अलौह धातुओं के स्क्रैप की मात्रा से अभिप्रेत है;

(ध) **"नवीकर्ता"** से कोई ऐसा व्यक्ति या संस्था अभिप्रेत है जो अनुसूची-XII में सूचीबद्ध अलौह धातुओं से बने प्रयुक्त उत्पाद की मरम्मत या संयोजन करता है, तथा उसे उसी ब्रांड के रूप में या नए ब्रांड नाम से बाजार में बेचता है ताकि उसकी प्रयोग अवधि उसके मूल रूप से अभीष्ट उसका प्रयोग अवधि से अधिक हो और उसका उपयोग मूल रूप से अभीष्ट प्रयोजन के लिए हो।

(न) **"मानक प्रचालन प्रक्रिया"** का तात्पर्य केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट दस्तावेज से है, जिसमें उपकरणों और प्रक्रियाओं की न्यूनतम अपेक्षा का विवरण दिया गया है।

**45. पंजीकरण. -** (1) निम्नलिखित संस्थाओं को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा, अर्थात्:-

- (क) विनिर्माता;
- (ख) उत्पादक;
- (ग) संग्रह एजेंट;
- (घ) नवीकर्ता; और
- (ड) पुनर्चक्रणकर्ता।

(2) पंजीकरण के लिए आवेदन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए प्रारुप में ऑनलाइन किया जाएगा।

(3) पोर्टल पर सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सत्यापन के लिए ऐसी जांच करने के बाद, जैसा वह उचित समझे, आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।

(4) यदि कोई निकाय उपनियम (1) के अधीन उल्लिखित एक से अधिक श्रेणी में आती है तो उक्त निकाय को प्रत्येक संबंधित श्रेणी के अधीन स्वयं को पृथक रूप से पंजीकृत करना होगा।

(5) उपनियम (1) के अधीन कोई भी निकाय पंजीकरण कराए बिना कारोबार नहीं करेगा।

(6) पंजीकृत निकाय उपनियम (1) के अधीन पंजीकृत न होने वाले किसी अन्य निकाय के साथ लेन-देन नहीं करेंगे।

(7) जहां कोई पंजीकृत निकाय गलत सूचना प्रस्तुत करता है या पंजीकरण या विवरणी या रिपोर्ट या इन नियमों के अधीन प्रदान की जाने वाली या प्रस्तुत की जाने वाली सूचना को जानबूझकर छिपाता है तो उस मामले में, ऐसे निकाय का पंजीकरण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संबंधित इकाई को सुनवाई का अवसर देने के बाद, ऐसी इकाई को पांच साल की अवधि तक के लिए रद्द किया जा सकता है और इसके अतिरिक्त नियम 60 के अनुसार पर्यावरण प्रतिपूर्ति प्रभार भी लगाया जा सकता है।

(8) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों के अधीन पंजीकरण चाहने वाले निकायों से उनके द्वारा उत्पन्न, पुनर्चक्रित, नवीनीकृत या प्रबंधित अलौह धातुओं के स्क्रैप की केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित क्षमता के आधार पर पंजीकरण शुल्क और वार्षिक अनुरक्षण प्रभार ले सकेगा। 46. अलौह धातु के स्क्रैप के पुनर्चक्रण के लिए उत्पादक की जिम्मेदारी. - (1) प्रत्येक उत्पादक को अलौह धातुओं के स्क्रैप के पुनर्चक्रण की जिम्मेदारी होगी और अनुसूची-X में सूचीबद्ध उत्पादों के संबंध में अनुसूची-XI में विनिर्दिष्ट विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी लक्ष्य को स्वयं या संग्रह केंद्र या डीलर के माध्यम से पूरा करना होगा और ऐसा करने में वे तीसरे पक्ष अर्थात संग्रह एजेंट अथवा डीलर की मदद से ले सकते हैं:

परंतु, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्यों की जिम्मेदारी पूरी तरह से केवल उत्पादक पर ही होगी ।

(2) प्रचालन संबंधी हानि, यदि कोई हो, के कारण उत्पादकों के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित किसी नियोग द्वारा कम कर दिया जाएगा ।

(3) कोई उत्पादक पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र खरीदकर अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य को पूरा कर सकता है।

(4) जहां कोई उत्पादक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य को पूरा करता है, उत्पादकों और पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरणों का पोर्टल पर पुन:सत्यापन किया जाएगा तथा किसी भी अंतर के मामले में, जो आंकड़ा कम होगा उसे उत्पादक के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी दायित्व की पूर्ति के लिए माना जाएगा।

(5) उत्पादक द्वारा उत्पादित विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या इस संबंध में उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी द्वारा संवीक्षा के अधीन होंगे।

**47.** विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र का सृजन. - (1) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पंजीकृत पुनर्चक्रक के पक्ष में पोर्टल के माध्यम से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र तैयार करेगा, जिसकी गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी, अर्थात: -

# \*QEPR = Q<sub>p</sub>xC<sub>f</sub>

\*QEPR वह मात्रा है जिसके आधार पर प्रमाण पत्र तैयार किए जाते हैं, Qp अंतिम उत्पाद की मात्रा है और Cf प्रत्येक अंतिम उत्पाद का रूपांतरण कारक है (उत्पाद की एक ईकाइ के उत्पादन के लिए आवश्यक इनपुट की मात्रा)

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रत्येक अंतिम उत्पाद के लिए रूपांतरण कारक C<sub>f</sub> का निर्धारण पुनर्चक्रणकर्ताओं द्वारा प्रयुक्त प्रौद्योगिकियों व अन्य कारकों के आधार पर किया जाएगा।

(2) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र की वैधता उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष तक होगी जिसमें इसे तैयार किया गया था तथा वैधता समाप्त प्रमाणपत्र उक्त अवधि के पश्चात स्वतः समाप्त हो जाएगा, जब तक कि इन नियमों के अनुसार इसे पहले ही समाप्त न कर दिया गया हो।

(3) प्रत्येक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र में एक विशिष्ट संख्या होगी जिसमें उत्पादन का वर्ष, अंतिम उत्पाद का कोड, पुनर्चक्रण कोड तथा एक विशिष्ट कोड और वैधता होगी तथा 100, 200, 500, 1000 और 10,000 किलोग्राम के मूल्यवर्ग में या जैसा कि नियम 63 के अधीन गठित संचालन समिति के अनुमोदन से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित मूल्यवर्ग में होंगे।

(4) पुनर्चक्रण के कई प्रकार के अंतिम उत्पादों के मामले में, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र के सृजन के लिए रूपांतरण कारक का निर्धारण संचालन समिति के अनुमोदन से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

48. अलौह धातु उत्पाद का नवीनीकरण.- (1) अनुसूची- XII में सूचीबद्ध अलौह धातुओं से बने उत्पाद को भी नवीनीकरण के लिए अनुमति दी जाएगी और नवीकर्ता को पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा तथा उसके बाद केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए फार्मेट में पंजीकृत नवीकर्ता के पक्ष में नवीनीकरण प्रमाण पत्र जेनरेट किया जा सकता है।

(2) नवीनीकरणकर्ता से खरीदे गए नवीनीकरण प्रमाणपत्रों के प्रस्तुत करने पर, उत्पादकों के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को अलौह धातुओं से बने उत्पाद की संगत मात्रा के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि तक स्थगित कर दिया जाएगा और नवीनीकृत उत्पाद की विस्तारित प्रयोग अवधि की समाप्ति पर इसे उत्पादक के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व में जोड़ दिया जाएगा।

(3) उप-नियम (2) के अधीन आस्थगित मात्रा का केवल पचहत्तर प्रतिशत ही उत्पादक के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व में जोड़ा जाएगा। **49. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र का समव्यवहार**.- (1) कोई उत्पादक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र खरीद सकता है, जो उसके चालू वर्ष के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व देयता, तथा पिछले वर्षों के किसी भी शेष देयता, और चालू वर्ष के देयता के दस प्रतिशत तक सीमित होगा।

(2) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी दायित्व को उत्पादकों द्वारा प्रत्येक तिमाही में आनुपातिक रूप से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र लक्ष्य करके पूरा किया जाना होगा।

(3) जैसे ही उत्पादक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र खरीदता है, यह स्वतः ही उसकी देयता में समायोजित हो जाएगी, समायोजन में प्राथमिकता पहले की दी जाएगी तथा इस प्रकार समायोजित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र स्वतः ही समाप्त और रद्द हो जाएगा।

(4) जैसे ही उत्पादक नवीनीकरण प्रमाणपत्र खरीदता है, उसका विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य संबंधी देयता उत्पाद की प्रासंगिक मात्रा के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित अवधि के लिए स्वतः आस्थगित हो जाएगी।

(5) प्रत्येक उत्पादक या पुनर्चक्रक या नवीनीकरणकर्ता के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र और नवीनीकरण प्रमाणपत्र की उपलब्धता, आवश्यकता और अन्य विवरण पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(6) इन नियमों के अधीन सभी लेन-देन उत्पादकों या नवीनीकरणकर्ताओं या पुनर्चक्रणकर्ताओं द्वारा पोर्टल पर दर्ज और प्रस्तुत किए जाएंगे।

(7) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड केन्द्र सरकार के अनुमोदन से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार आदेश द्वारा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों के आदान-प्रदान या अंतरण के लिए एक या एक से अधिक प्लेटफार्म स्थापित कर सकती है।

(8) उप-नियम (7) के अधीन स्थापित प्लेटफार्म का प्रचालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित और विनियमित किया जाएगा।

(9) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों के विनिमय के लिए उच्चतम और न्यूनतम मूल्य निर्धारित करेगा जो नियम 60 के अधीन विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दायित्व की पूर्ति न करने पर पर्यावरणीय प्रतिकर के क्रमशः सौ प्रतिशत और तीस प्रतिशत के बराबर होगा।

(10) पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत संस्थाओं के बीच विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र का विनिमय मूल्य उप-नियम (9) में निर्दिष्ट उच्चतम और निम्नतम मूल्यों के बीच होगा।

**50. ऑनलाइन पोर्टल.** - (1) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पंजीकरण एवं अर्धवार्षिक और वार्षिक रिटर्न फ़ाइल करने, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व की पूर्ति और प्रमाणपत्र का लेन-देन और अन्य प्रासंगिक जानकारी साझा करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली स्थापित करेगा।

(2) यह पोर्टल, अलौह धातुओं के स्क्रैप के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के प्रबंधन और कार्यान्वयन के संबंध में एकल बिंदु डेटा संग्रह के रूप में कार्य करेगा।

(3) इस ऑनलाइन पोर्टल को परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापारीय संचलन) संशोधन नियम, 2025 के लागू होने की तारीख से छह माह के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा कार्यात्मक किया जाएगा और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के कार्यान्वयन से संबंधित सभी क्रियाकलाप ऑनलाइन रीति से ही किए जाएंगे।

(4) केन्द्रीय सरकार, यदि संतुष्ट होती है कि ऐसा करना जनहित में या इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है, आदेश द्वारा किसी अवधि, जिसके भीतर किसी उत्पादक, संग्रह अभिकर्ता, नवीकरणकर्ता और तत्संबंधी पुनर्चक्रणकर्ता द्वारा इन नियमों के अधीन कोई विवरणी या रिपोर्ट दायर की जानी है, को अधिकतम नौ महीने की अवधि तक बढ़ाकर छूट दे सकती है।

51. विनिर्माता का उत्तरदायित्व. – (1) प्रत्येक विनिर्माता को पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा।

(2) विनिर्माता को उत्पादों और उनके घटकों या उपभोग्य सामग्रियों या भागों या स्क्रैप के विनिर्माण के दौरान उत्सर्जित अलौह धातुओं और अपशिष्ट के स्क्रैप को एकत्र करना और इसका पुनर्चक्रण या निपटान सुनिश्चित करना है। (3) विनिर्माता को अनुसूची-XIII के अनुसार नए उत्पाद में घरेलू रूप से पुनर्चक्रित सामग्रियों के न्यूनतम उपयोग संबंधी दायित्व निभाना होगा। नए उत्पाद में पुनर्चक्रित सामग्रियों के न्यूनतम उपयोग का आकलन नए उत्पाद के कुल भार के संबंध में होगा।

बशर्ते कि जहां वैधानिक या तकनीकी आवश्यकताओं के कारण घरेलू रूप से पुनःचक्रित सामग्रियों के उपयोग के संबंध में दायित्व को पूरा करना संभव न हो, वहां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मामले दर मामले के आधार पर छूट प्रदान की जा सकेगी।

टिप्पण 1. वैधानिक आवश्यकता से अभिप्रेत ऐसे मामले से है जहां पुन: चक्रित सामग्री के उपयोग की अनुमति किसी अन्य लागू कानून द्वारा नहीं की गई है।

टिप्पण 2: तकनीकी आवश्यकता से अभिप्रेत ऐसे मामले से है जहां पुन:चक्रित सामग्री का उपयोग इच्छित प्रयोजन हेतु अनुपयुक्त हो जाता है।

(4) विनिर्माता को प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर या उससे पहले पोर्टल पर निर्धारित प्रारुप में अर्धवार्षिक रिटर्न फ़ाइल करना होगा और संबंधित वित्तीय वर्ष से संबंधित वार्षिक रिटर्न को उस वित्तीय वर्ष के बाद की 30 जून को या उससे पहले पोर्टल पर प्रारुप में फ़ाइल किया जाएगा।

(5) कई कार्यालयों वाले विनिर्माता के मामले में, सभी कार्यालयों से जानकारी के संयोजन के लिए एकल वार्षिक रिटर्न फ़ाइल की जाएगी।

(6) पुनर्चक्रित सामग्री के न्यूनतम उपयोग संबंधी दायित्व, पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ता से पुनर्चक्रित सामग्री के क्रप के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

52. उत्पादकों का उत्तरदायित्व. – (1) अलौह धातु के स्क्रैप के प्रत्येक उत्पादकों को पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा।

(2) प्रत्येक उत्पादक को प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर या उससे पहले पोर्टल पर निर्धारित प्रारुप में अर्धवार्षिक रिटर्न फ़ाइल करना होगा और संबंधित वित्तीय वर्ष से संबंधित वार्षिक रिटर्न को उस वित्तीय वर्ष के बाद की 30 जून को या उससे पहले पोर्टल पर निर्धारित प्रारुप में फ़ाइल करना होगा।

(3) मीडिया, प्रकाशनों, विज्ञापनों, पोस्टरों या संचार के किसी अन्य माध्यम से जागरूकता सृजित करना।

(4) उत्पादक को अलौह धातुओं का पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन तथा अलौह धातुओं के स्क्रैप का संग्रह और परिवहन सुनिश्चित करना होगा।

53. संग्रह अभिकर्ता का उत्तरदायित्व. – (1) प्रत्येक संग्रह अभिकर्ता पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करेगा और विनिर्माता, उत्पादकों, थोक उपभोक्ताओं से अलौह धातुओं के समाप्त प्रयोग अवधि स्क्रैप एकत्र करेगा और पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ता को आपूर्ति करेगा तथा पोर्टल पर जानकारी अपलोड करेगा।

(2) संग्रह अभिकर्ता को 31 अक्टूबर या उससे पहले पोर्टल पर निर्धारित प्रारुप में अर्धवार्षिक रिटर्न फ़ाइल करना होगा और संबंधित वित्तीय वर्ष से संबंधित वार्षिक रिटर्न को उस वित्तीय वर्ष के बाद की 30 जून को या उससे पहले पोर्टल पर निर्धारित प्रारुप में फ़ाइल करना होगा।

**54. नवीकरणकर्ता के उत्तरदायित्व**. - (1) प्रत्येक नवीकरणकर्ता को पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा और वह अनुसूची-XII में सूचीबद्ध अलौह धातुओं के स्क्रैप/अलौह धातुओं के प्रयुक्त उत्पाद और उनके घटकों या उपभोज्य वस्तुओं या हिस्सों या स्क्रैप को एकत्र करेगा और इसका नवीनीकरण सुनिश्चित करेगा। (2) नवीकरणकर्ता को 31 अक्टूबर या उससे पहले पोर्टल पर निर्धारित प्रारुप में अर्धवार्षिक रिटर्न फ़ाइल करना होगा और संबंधित वित्तीय वर्ष से संबंधित वार्षिक रिटर्न को उस वित्तीय वर्ष के बाद की 30 जून को या उससे पहले पोर्टल पर निर्धारित प्रारुप में फ़ाइल करना होगा।

55. पुनर्चक्रणकर्ता के उत्तरदायित्व. – (1) प्रत्येक पुनचर्क्रणकर्ता को पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा।

(2) पुनचर्क्रणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि संयंत्र और पुनचर्क्रण प्रकियाएं इन नियमों के अनुसरण में हैं।

(3) पुनचर्क्रणकर्ता को सुनिश्चित करना होगा कि अलौह धातुओं के स्क्रैप के भंडारण, परिवहन और पुनचर्क्रण के दौरान पर्यावरण को कोई क्षति न पहुंचे।

(4) पुनचर्क्रणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि पुनर्चक्रण की प्रक्रिया के दौरान उत्सर्जित अवशिष्ट का उक्त नियमों के अनुसार ही निपटान किया जाता है।

(5) पुनर्चक्रणकर्ता 31 अक्टूबर या उससे पहले पोर्टल पर निर्धारित प्रारुप में अर्धवार्षिक रिटर्न को करेगा और संबंधित वित्तीय वर्ष से संबंधित वार्षिक रिटर्न को उस वित्तीय वर्ष के बाद की 30 जून को या उससे पहले पोर्टल पर निर्धारित प्रारुप में फ़ाइल करेगा।

(6) पुनर्चक्रणकर्ता को अपने द्वारा प्राप्त अलौह धातुओं के स्क्रैप का रिकार्ड रखना होगा तथा ऐसे स्क्रैप की मात्रा का रिकार्ड रखना होगा, जिसका पुनर्चक्रण किया गया है, जिसका पुनर्चक्रण नहीं किया गया है या जिसका निपटान नहीं किया गया है, तथा ऐसे रिकार्ड को नियमित आधार पर पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

(7) पुनचर्क्रणकर्ता को सुनिश्चित करना होगा कि इसके संयंत्र में पुनर्चक्रित न किए गए अंशों या सामग्री को उन अन्य पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को भेजा जाए जहां इसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है।

56. थोक उपभोक्ताओं के उत्तरदायित्व. - थोक उपभोक्ता को. -

(1) संग्रह अभिकर्ताओं को उनके परिसरों से अलौह धातुओं के स्क्रैप के संग्रह और परिवहन की सुविधा हेतु संग्रह बिंदु स्थापित करने होंगे; और

(2) यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा उत्सर्जित अलौह धातुओं के स्क्रैप को केवल पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं या नवीकरणकर्ताओं या उत्पादकों या संग्रह अभिकर्ता को ही सौंपा जाता है।

57. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उत्तरदायित्व. – (1) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड. -

(क) पोर्टल का प्रचालन और रखरखाव तथा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के अनुपालन की निगरानी करेंगे;

(ख) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ समन्वय करेंगे;

(ग) पोर्टल पर पंजीकरण करने, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रमाण-पत्र तैयार करने, दायित्व की पूर्ति करने, रिटर्न फ़ाइल करने तथा इन नियमों के अधीन अलौह धातुओं के स्क्रैप के संग्रहण, भंडारण, परिवहन, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए और समय-समय पर इन नियमों के सुचारू कार्यान्वयन से संबंधित किसी अन्य मुद्दे के संबंध में भी दिशानिर्देश और मानक प्रचालन प्रक्रियाएं तैयार और जारी करेंगे;

(घ) इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रारुप या रिटर्न तैयार और जारी करेंगे;

(ड.) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के अनुपालन को अभिनिर्धारित करने के लिए यादृच्छिक जांच करेंगे और इस प्रयोजन के लिए किसी अन्य अभिकरण की मदद ले सकतें हैं तथा अधिनियम एवं इन नियमों के उपबंधों के तहत, जैसा उचित समझा जाए, आवश्यक कार्रवाई करेगें;

(च) इन नियमों के उल्लघंन होने पर कार्रवाई करेंगे;

(छ) राज्य सरकारों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों सहित क्षमता निर्माण करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे;

(ज) जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे;

(2) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों के कार्यान्वयन से संबंधित सूचना के ब्यौरे को शामिल करने वाली वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

58. राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या नगर पालिकाओं या स्थानीय निकायों या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उत्तरदायित्व. – (1) राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का उद्योग विभाग अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य सरकारी अभिकरण -

(क) मौजूदा और आगामी औद्योगिक उद्यानों, संपदाओं और औद्योगिक समूहों में अलौह धातुओं के स्क्रैप के संग्रहण और पुनर्चक्रण इकाइयों के लिए औद्योगिक स्थान या शेड का चिह्नांकन या आवंटन सुनिश्चित करेंगे;

(ख) पुनर्चक्रण में शामिल श्रमिकों की मान्यता और पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे;

(ग) अलौह धातुओं के स्क्रैप के पुनर्चक्रण में शामिल श्रमिकों के लिए औद्योगिक कौशल विकास संबंधी कार्यकलाप शुरू करेंगे;

(घ) वार्षिक निगरानी करना तथा अलौह धातुओं के स्क्रैप के पुनर्चक्रण में शामिल श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुनिश्चित करेंगे;

(2) नगर पालिका और स्थानीय निकाय-

(क) निर्माता उत्पादकों, थोक उपभोक्ताओं या संग्रह एजेंटों को उनके अधिकार क्षेत्र में अलौह धातुओं के स्क्रैप के संग्रह के लिए बड़ी संख्या में संग्रहण केंद्र स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेंगे;

(ख) यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अलौह धातुओं का स्क्रैप, यदि नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट के साथ मिला हुआ पाया जाता है, तो उसे उचित रूप से अलग किया जाए, एकत्र किया जाए और पुनर्चक्रण में शामिल पंजीकृत संस्थाओं को भेजा जाए;

(ग) क्षमता का विकास करने के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करेगें;

(घ) यह सुनिश्चित करेंगे कि बेकार फेंके गए उत्पादों से संबंधित अलौह धातुओं का स्क्रैप एकत्र किया जाएगा और पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ता को भेजा जाएगा;

(3) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्रदूषण नियंत्रण समितियों का उत्तरदायित्व होगा -

(क) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समन्वय से इन नियमों के समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;

(ख) संग्रहण एजेंटों द्वारा संग्रहण केंद्रों की स्थापना को सुगम बनाना;

(ग) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्देशित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के अनुपालन की निगरानी करना;

(घ) उत्पादकों या संग्रहण एजेंटों या नवीनीकरणकर्ताओं या पुनर्चक्रणकर्ताओं का यादृच्छिक निरीक्षण करना;

(ड.) मीडिया, प्रकाशन, विज्ञापन, पोस्टर या संचार के किसी अन्य साधन के माध्यम से जागरूकता पैदा करना; और इन नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई अन्य कार्य करना।

**59. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की जिम्मेदारियां**.- भारतीय मानक ब्यूरो परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) संशोधन नियम, 2025 के क्रियान्वित होने की तारीख से छह महीने के भीतर मौजूदा मानकों को संशोधित करेगा और इन नियमों के संबंध में आवश्यक मानक जारी करेगा।

60. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति. - (1) जहां कोई विनिर्माता, उत्पादक, संग्रहण एजेंट, नवीनीकरणकर्ता और पुनर्चक्रणकर्ता, चाहे पंजीकृत हो या नहीं, इन नियमों के किसी उपबंध का अनुपालन करने में असफल रहता है, जिसके कारण पर्यावरण या लोक स्वास्थ्य को हानि, क्षति या चोट पहुंचती है, तो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसी किसी भी हानि, क्षति या चोट के बराबर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) इस नियम के अधीन उत्पादक, पुनर्चक्रक, विनिर्माताओं, नवीनीकरणकर्ताओं तथा किसी भी पंजीकृत अथवा अपंजीकृत इकाई को इस मामले में सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित नहीं की जाएगी। (3) उप-नियम (1) के अधीन पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आरोपित की जाएगी।

(4) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान उत्पादक को इन नियमों में विनिर्दिष्ट विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य से मुक्त नहीं करेगा और किसी विशेष वर्ष के लिए अधूरे विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य को अगले वर्ष के लिए आगे ले जाया जाएगा और इसी प्रकार आगे तीन वर्षों तक बढ़ाया जाएगा।

(5) जहां निर्माता या उत्पादक या संग्रहण एजेंट या नवीनीकरणकर्ता या पुनर्चक्रणकर्ता तत्पश्चात् दायित्व का अनुपालन करता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि उसे वापस की जा सकेगी, यदि दायित्व का अनुपालन किया जाता है-

(क) एक वर्ष के भीतर पर्यावरण क्षतिपूर्ति का 85%;

(ख) दो वर्षों के भीतर पर्यावरण क्षतिपूर्ति का 60%;

- (ग) तीन वर्षों के भीतर, पर्यावरण क्षतिपूर्ति का 30%; और
- (घ) तीन वर्षों के बाद उत्पादक को कोई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वापस नहीं की जाएगी।

(6) गलत सूचना देने के परिणामस्वरूप पुन:चक्रक द्वारा अलौह धातुओं के वास्तविक पुन:चक्रित स्क्रैप के पांच प्रतिशत से अधिक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र तैयार किए जाने पर पंजीकरण अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाएगा और परायावर्णीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाएगी, जिसे वापस नहीं किया जाएगा और इसके बाद, इन नियमों का तीन या अधिक बार उल्लंघन करने पर भी परायावर्णीय क्षतिपूर्ति प्रभारों के अतिरिक्त पंजीकरण को स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा।

(7) इन नियमों के अधीन भुगतान किया हुआ पर्यावरणीय मुआवजा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रखे गए पृथक खाते में रखा जाएगा।

(8) इन नियमों के अधीन भुगतान की गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की रकम का उपयोग पर्यावरणीय दृष्टि से सुदृढ़ प्रबंधन के माध्यम से पर्यावरण या लोक स्वास्थ्य को हुई हानि, क्षति या चोट की मरम्मत करने के लिए किया जाएगा, जिसमें अलौह धातुओं के स्क्रैप का संग्रहण और नॉन एंड ऑफ लाइफ निपटान और पुनर्चक्रण या असंग्रहीत का गैर-पुनर्चक्रित या गैर-जीवन-अंत निपटान तथा अलौह धातुओं के स्क्रैप के अवैज्ञानिक प्रबंधन के कारण उत्पन्न प्रदूषण का उपचार या उसे दूर करना शामिल है।

61. उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई.- कोई भी व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन करने में विफल रहता है या उल्लंघन करता है, वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई किए जाने का पात्र होगा।

62. सत्यापन और लेखा परीक्षा. - (1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्वयं अथवा किसी नामनिर्दिष्ट एजेंसी के माध्यम से विनिर्माता, उत्पादकों, संग्रहण एजेंटों, नवीनीकरणकर्ताओं और पुनर्चक्रणकर्ताओं का निरीक्षण और आवधिक लेखा परीक्षा के माध्यम से इन नियमों के अनुपालन का सत्यापन करेगा, जैसा उचित समझा जाए और इन नियमों के अधीन नियम 60 के अंतर्गत उल्लंघनों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा।

(2) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पंजीकृत इकाइयों से लेखा परीक्षा शुल्क लिया जा सकता है।

63. संचालन समिति. – (1) केंद्र सरकार द्वारा इन नियमों के अधीन विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक संचालन समिति गठित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्:-

(क) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष – अध्यक्ष

(ख) केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित संबंधित मंत्रालय या विभाग से एक-एक प्रतिनिधि

- (i) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन;
- (ii) खान;
- (iii) इस्पात;

(ग) निर्माता और उत्पादक संघों का प्रतिनिधित्व करने वाला एकक प्रतिनिधि;

(घ) पुनर्चक्रणकर्ता संगठन के एक प्रतिनिधि;

(ङ) जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर, नागपुर, महाराष्ट्र, 440023 का एक प्रतिनिधि; (च) आवर्तन के आधार पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति का एक प्रतिनिधि;

(छ) आवर्तन के आधार पर राज्य साकरों या संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासंको के शहरी और ग्रामीण विभागों से एक प्रतिनिधि;

(ज) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव;

(झ) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अलौह धातुओं से संबंधित प्रभाग के प्रभारी-सदस्य संयोजक ।

(2) यदि आवश्यक समझे तो संचालन समिति किसी अन्य सदस्य को भी सह-योजित कर सकती है।

(3) संचालन समिति इन नियमों के समग्र कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होगी।

(4) संचालन समिति इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर समय-समय पर उत्पन्न होने वाले विवादों पर भी निर्णय करेगा तथा इस नियमों से संबंधित या उत्पन्न किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

(5) संचालन समिति प्रौद्योगिकीय प्रगति और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए पुनर्चक्रण के लक्ष्यों की समीक्षा करेगी और उन्हें संशोधित करेगी तथा केन्द्रीय सरकार को सिफारिशें भेजेगी।

(6) संचालन समिति ऐसे सभी उपाय करेगी, जिन्हें वह इन नियमों के उपबंधों के समुचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे।

**64. इन नियमों के अन्य उपबंधो की प्रयोज्यता.**- इन नियमों के अधीन परिसंकटमय अपशिष्टों से संबंधित उपबंध, इन नियमों के अधीन अलौह धातुओं के स्क्रैप के उपयोग और प्रबंधन पर भी लागू होंगे।

(3) उक्त नियमों में अनुसूची- IX के पश्चात निम्नलिखित अनुसूचियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

# अनुसूची-X

# [नियम 44(क), 44(ख), 44(ञ), 44(ठ), 44(ढ), 44(त) और 46(1) देखें]

# अलौह धातुओं से बने उत्पादों की सूची

क्र. सं.	उत्पाद
1.	पेय पदार्थों, एरोसोल और ऐसे अन्य उत्पाद के लिए उपयोग की जाने वाली कैन
2.	खाद्य, फार्मा और ऐसे अन्य उत्पादों की पैकेजिंग के लिए उपयोग की जाने वाली फ़ॉएल
3.	दरवाजे, खिड़कियाँ, शटर
4.	एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल
5.	एल्युमीनियम के पार्टिशियन, ग्रिल और ऐसे अन्य उत्पाद
6.	बर्तन (खाना पकाने के बर्तन, कनस्तर, भंडारण और अन्य ऐसे उत्पाद)
7.	फर्नीचर- टेबल, कुर्सियाँ, बेंच, सीढ़ियाँ आदि जिनमें दरवाज़े के मूठ, हैंडल, हार्डवेयर्स शामिल हैं
8.	रूर्फिंग और सीलिंग शीट
9.	मोटर, पंप, अल्टरनेटर और ऐसे अन्य उत्पाद (ऑटोमोबाइल ग्रेड के अतिरिक्त)
10.	कंडक्टर केबल और तार, स्ट्रिप्स (ऑटोमोबाइल ग्रेड के अतिरिक्त)
11.	सेनेटरी वेयर और फिटिंग्स
12.	बिजली की फिटिंग (ऑटोमोबाइल ग्रेड के अतिरिक्त)
13.	एल्युमिनियम मिश्र धातु बाइसिकल
14.	ट्रांसफार्मर (ऑटोमोबाइल ग्रेड के अतिरिक्त)

15.	विद्युत जेनरेटर सेट
16.	केन्द्रीयित वातानुकूलन संयंत्र
17.	परिधान उत्पाद जैसे बेल्ट बकल, ज़िप, जूते

18. खिलौने

# अनुसूची-XI

# [नियम 44(छ), 44(द) 46(1) देखें]

## उत्पादक का विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाद्यता

क्र. सं.	वर्ष (Y)	पुनर्चक्रण लक्ष्य (वजन के अनुसार)		
(i)	2026-2027	वर्ष Y - X में अलौह धातुओं से बने उत्पादों की मात्रा का 10%, जहां 'X' उत्पाद का औसत प्रयोग अवधि है		
(ii)	2027-2028	वर्ष Y - X में अलौह धातुओं से बने उत्पादों की मात्रा का 10%, जहां 'X' उत्पाद का औसत प्रयोग अवधि है		
(iii)	2028-2029	वर्ष Y - X में अलौह धातुओं से बने उत्पादों की मात्रा का 30%, जहां 'X' उत्पाद का औसत प्रयोग अवधि है		
(iv)	2029-2030	वर्ष Y - X में अलौह धातुओं से बने उत्पादों की मात्रा का 30%, जहां 'X' उत्पाद का औसत प्रयोग अवधि है		
(v)	2030-2031	वर्ष Y - X में अलौह धातुओं से बने उत्पादों की मात्रा का 50%, जहां 'X' उत्पाद का औसत प्रयोग अवधि		
(vi)	2031-2032	वर्ष Y - X में अलौह धातुओं से बने उत्पादों की मात्रा का 50%, जहां 'X' उत्पाद का औसत प्रयोग अवधि है		
(vii)	2032-2033 से आगे	वर्ष Y - X में अलौह धातुओं से बने उत्पादों की मात्रा का 75%, जहां 'X' उत्पाद का औसत प्रयोग अवधि है		
(viii)	1 अप्रैल, 2026 के बाद स्थापित इकाइयों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व का कार्य दो वर्ष की अवधि के बाद आरंभ होगा और ऊपर निर्धारित लक्ष्य के अनुसार होगा।			
(ix)	वर्ष (Y ) में उपयोग किए हुए उपकरणों या उत्पादों या अलौह धातुओं के स्क्रैप के आयातकों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व वर्ष (Y-1) में आयातित अलौह धातुओं का 100 प्रतिशत होगा।			

## टिप्पण:

- (1) वर्ष 2033- 2034 की समाप्ति के बाद पुनर्चक्रण लक्ष्य की समीक्षा की जा सकती है और उसे बढ़ाया जा सकता है।
- (2) एल्युमीनियम या तांबा या जस्ता या उनकी मिश्रधातुओं से बने उत्पादों की औसत प्रयोग अवधि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

# अनुसूची–XII [नियम 44(ख), 44(ध), 48(1), 54(1), 54(3) देखें] नवीनीकरण के लिए अनुमत अलौह धातुओं से बने उत्पादों की सूची

क्र.सं.	उत्पाद
1.	दरवाजे, खिड़कियां, शटर
2.	एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल
3.	एल्यूमीनियम के पार्टिशन, ग्रिल और ऐसे अन्य उत्पाद
4.	फर्नीचर टेबल, कुर्सियां, बेंच, सीढ़ी आदि जिसमें दरवाज़े की मूठ, हैंडल, हार्डवेयर्स शामिल हैं
5.	मोटर्स, पंप, अल्टरनेटर और ऐसे अन्य उत्पाद
6.	सेनेटरी वेयर और फिटिंग
7.	बिजली की फिटिंग
8.	एल्यूमीनियम मिश्र धातु बाईसाइकिल
9.	ट्रांसफार्मर
10.	इलेक्ट्रिक जेनरेटर सेट
11.	केंद्रीकृत एयर कंडीशनिंग संयंत्र

# अनुसूची-XIII

# [नियम 51(3) देखें]

# अलौह धातुओं से बने नए उत्पाद में पुनर्चक्रित सामग्री का न्यूनतम उपयोग

क्र.सं.	धातु का प्रकार	पुनर्चक्रित सामग्री का न्यूनतम उपयोग*			
		2028-29	2029-30	2030-31	2031-32
(i)	एल्यूमीनियम	5	10	10	10
(ii)	तांबा	5	10	15	20
(iii)	जस्ता	5	10	15	25

\*यह प्रतिशत उस उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त अलौह धातु की कुल मात्रा के संबंध में है.'.

# [फा.सं. 12/84/2024-एचएसएमडी] नीलेश कुमार साह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 395(अ), तारिख 4 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 670(अ), तारिख 6 जुलाई, 2016; अधिसूचना सं.सा.का.नि. 177(अ), तारिख 28 फरवरी, 2017; अधिसूचना सं.सा.का.नि. 544(अ), तारिख 11 जून, 2018; अधिसूचना सं. सा.का.नि. 178(अ), तारिख 1 मार्च, 2019; अधिसूचना सं. सा.का.नि. 641(अ), तारिख 9 अक्टूबर, 2020; अधिसूचना सं.सा.का.नि. 47(अ), तारिख 27 जनवरी, 2021; अधिसूचना सं.सा.का.नि. 798(अ), तारिख 12 नवंबर, 2021; अधिसूचना सं. सा.का.नि. 593(अ), तारिख 21 जुलाई, 2022 और अधिसूचना सं.सा.का.नि. 900(अ) तारिख 23 दिसंबर, 2022; अधिसूचना सं.सा.का.नि. 500(अ) तारिख 12 जुलाई, 2023; अधिसूचना सं.सा.का.नि. 677(अ) तारिख 18 सितंबर, 2023; अधिसूचना सं.सा.का.नि.177(अ) तारिख 12 मार्च, 2024 और अधिसूचना सं.सा.का.नि. 698(अ) तारिख 12 नवंबर, 2024 द्वारा पाश्चार्तवर्ती संशोधित किए गए थे।

### MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

#### NOTIFICATION

### New Delhi, the 1<sup>st</sup> July, 2025

**G.S.R. 438(E).**— WHEREAS the draft notification containing the draft rules, namely the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Second Amendment Rules, 2024 were published *vide* notification number G.S.R. 499(E), dated the 14<sup>th</sup> August, 2024 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 14<sup>th</sup> day of August, 2024;

AND WHEREAS the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft notification within the said period have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, namely: –

- 1. (1) These rules may be called the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2025.
  - (2) They shall come into force on the  $1^{st}$  day of April, 2026.
- 2. In the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 (hereinafter referred to the said rules), after Chapter VII, the following Chapter shall be inserted, namely: -

#### **'Chapter VIII**

#### **Extended Producer Responsibility for Scrap of Non-Ferrous Metals**

- 44. Definitions. In these rules, unless the context otherwise requires,
  - (a) **"bulk consumer"** means any entity using at least one thousand tons of non-ferrous metal products listed in Schedule-X, at any point of time in the particular financial year, and includes e-retailer;
  - (b) **"business"** means any activity of production, manufacturing, recycling, treatment and disposal, sale or import of products made of non-ferrous metals listed in Schedule-X or refurbishing of products made of non-ferrous metals allowed for refurbishing as listed in Schedule XII;
  - (c) "collection points" means the facility where the registered collection agent would collect the scrap of non-ferrous metals;
  - (d) "collection agent" means a person or entity that collects scrap of non-ferrous metals;
  - (e) **"end-of-life"** of the product means the time when the product including refurbished products is no longer used for the intended purpose;

- (f) **"environmentally sound management of scrap"** means taking all steps required to ensure that scrap of non-ferrous metals are managed to protect the environment and public health against any adverse effect or loss, damage or injuries which may result during collection, storage, transportation, processing or disposal;
- (g) **"extended producer responsibility"** means the responsibility of the producer of non-ferrous metal products for meeting targets as per schedule XI of these rules;
- (h) **"facility"** means any location wherein the process incidental to the collection, reception, storage, segregation, recycling, refurbishing, disposal and treatment of scrap of non-ferrous metals is being carried out;
- (i) "guidelines" means a document prepared and issued by the Central Pollution Control Board elaborating minimum requirements for achieving environmentally sound management of scrap of non-ferrous metals including its handling, collection, storage, transportation storage and its recycling;
- (j) "**manufacturer**" means a person or an entity or a company which is manufacturing any product or component or spare part of non-ferrous metals as specified in Schedule-X of these rules;
- (k) **"non-ferrous metals"** means aluminium or copper or zinc or their alloys for the purposes of these rules;
- (l) **"orphaned products"** means non-branded products listed in Schedule-X of these rules; or those produced by a company which has closed its operation;
- (m) "**portal**" means the online system developed by the Central Pollution Control Board for management and implementation of these rules;
- (n) "product" means any product made of non-ferrous metals as listed in Schedule-X;
- (o) "**producer**" means any person or entity, irrespective of the selling technique used such as dealer, retailer, e-retailer, who,
  - i. manufactures and offers to sell products made up of non-ferrous metals and their components or consumables or parts or spares under its own brand, using non-ferrous metals; or
  - ii. offers to sell under its brand products made up of non-ferrous metals and their components or consumables or parts or spares produced by other manufacturers or suppliers, using non-ferrous metals; or
  - iii. offers to sell imported products made up of non-ferrous metals and their components or consumables or parts or spares under their own brand or original brand, using non-ferrous metals; or
  - iv. who imports used devices or products or scrap of non-ferrous metals.
- (p) "recycling" means any process of melting and refining of end of life products as listed in Schedule-X, made of non-ferrous metals and producing value-added products or recycled metals and alloys in an environmentally sound manner and having facilities as elaborated in the standard operating procedure or guidelines specified by the Central Pollution Control Board;
- (q) **"recycler"** means any person or entity engaged in the process of recycling scrap of non- ferrous metals;
- (r) **"recycling target"** means the quantity of the scrap of non-ferrous metals to be recycled as per the provisions of Schedule-XI;
- (s) "refurbisher" means any person or entity repairing or assembling used product made of nonferrous metals as listed in Schedule- XII for extending its working life over its originally intended life and for same use as originally intended, and selling the same in the market as the same brand or in new brand name;
- (t) **"standard operating procedure"** means the document specified by the Central Pollution Control Board elaborating the minimum requirement of equipment and processes.

**45. Registration.** - (1) The following entities shall be registered by the Central Pollution Control Board on the portal, namely:-

- (a) manufacturer;
- (b) producer;
- (c) collection agent;
- (d) refurbisher; and
- (e) recycler.

(2) An application for registration shall be made online in the form provided on the portal to the Central Pollution Control Board.

(3) On receipt of the application completed in all respects on the portal, the Central Pollution Control Board shall grant certificate of registration to the applicant.

(4) In case any entity falls in more than one category mentioned under sub-rule (1), the said entity shall register itself under each category separately.

(5) No entity mentioned under sub-rule (1) shall carry out business without registration.

(6) The registered entities shall not deal with any other entity mentioned under sub-rule (1) unless they are also registered.

(7) Where any registered entity furnishes false information or wilfully conceals information for registration or return or report or information required to be provided or furnished under these rules, the registration of such entity may be revoked by the Central Pollution Control Board for a period of up to five years after giving the entity concerned an opportunity of being heard, and in addition, environmental compensation charges may also be levied as per rule 60.

(8) The Central Pollution Control Board may charge registration fees and annual maintenance charges from the entities seeking registration under these rules based on the capacity of scrap of non-ferrous metals generated, recycled refurbished or handled by them as laid down by the Central Pollution Control Board.

46. Responsibility of producer for recycling of scrap of non-ferrous metal. -(1) Every producer shall have responsibility of recycling of the scrap of non-ferrous metals and shall meet the extended producer responsibility target specified in Schedule-XI in respect of the products listed in Schedule-X, and in doing so they may also take help of third party such as collection agent or dealer:

Provided that the responsibility of extended producer responsibility targets shall lie entirely on the producer only.

(2) The extended producer responsibility target of the producers shall be reduced by a factor laid down by the Central Pollution Control Board on account of operational loss, if any.

(3) A producer may fulfil its extended producer responsibility target by purchasing extended producer responsibility certificates through the online portal from registered recyclers.

(4) Where a producer fulfils its extended producer responsibility target by purchasing extended producer responsibility certificate, the details provided by producers and registered recyclers shall be cross-verified on the portal and in case of any difference, the lower figure shall be considered towards the fulfillment of the extended producer responsibility target of the producer.

(5) The extended producer responsibility certificates purchased by the producer shall be subject to audit by the Central Pollution Control Board or any other agencies authorised by it in this regard.

47. Generation of extended producer responsibility certificate. -(1) The Central Pollution Control Board shall generate an extended producer responsibility certificate through the portal in favor of a registered recycler, which shall be calculated as per the following formula, namely: -

$$*Q_{EPR} = Q_p \ge C_f.$$

\*the  $Q_{EPR}$  is the quantity eligible for generation of the certificate,  $Q_p$  is the quantity of the end product and  $C_f$  is the conversion factor of each end product (quantity of inputs required for production of one unit of output)

conversion factor  $C_F$  for each end product shall be determined by the Central Pollution Control Board based on the technologies and other factors.

(2) The validity of the extended producer responsibility certificate shall be two years from the end of the financial year in which it was generated and the expired certificate automatically extinguished after the period unless extinguished earlier as per these rules.

(3) Each extended producer responsibility certificate shall have a unique number containing the year of generation, code of end product, recycler code and a unique code and validity and shall be in the denominations of 100, 200, 500, 1000 and 10,000 kilograms or as may be fixed by the Central Pollution Control Board with the approval of the Steering Committee constituted under rule 63.

(4) In case of multiple end products of recycling, the conversion factor for generation of extended producer responsibility certificate shall be determined as per the guidelines issued by the Central Pollution Control Board with the approval of the Steering Committee.

**48.** Refurbishing of non-ferrous metals product. -(1) The product made of non-ferrous metals as listed in Schedule-XII shall also be allowed for refurbishing and refurbisher shall be required to get registered on the portal and thereafter refurbishing certificate may be generated in favor of a registered refurbisher in the format laid down by the Central Pollution Control Board in this regard.

(2) On production of the refurbishing certificates, the extended producer responsibility target of the producers shall be deferred by such duration as determined by the Central Pollution Control Board for the corresponding quantity of product made of non-ferrous metals and shall be added to the extended producer responsibility of the producer upon expiry of the extended life of the refurbished product.

(3) Only seventy-five per cent of the quantity deferred under sub-rule (2) shall be added later to the extended producer responsibility target of the producer.

49. Transaction of extended producer responsibility certificate. -(1) A producer may purchase extended producer responsibility certificates limited to its liability of the current year plus any leftover liability of preceding years plus ten percent of the current year liability.

(2) The producer shall fulfil its extended producer responsibility target by proportionately purchasing extended producer responsibility certificates every half-yearly.

(3) As soon as the producer purchases the extended producer responsibility certificate, it will automatically be adjusted against his liability and priority in adjustment shall be given to earlier liability and the extended producer responsibility certificate so adjusted shall be automatically extinguished and cancelled.

(4) As soon as producer purchases refurbishing certificates, its extended producer responsibility target shall be deferred automatically for the relevant quantity of the product, for the duration as laid down by the Central Pollution Control Board.

(5) The availability, requirement and other details of the extended producer responsibility certificate and refurbishing certificates for every producer or recycler or refurbisher shall be made available on the portal.

(6) All the transactions under these rules shall be recorded and submitted by the producers or refurbisher or recyclers on the portal.

(7) The Central Government may by, order establish one or more trading platforms for exchange or transfer of extended producer responsibility certificates in accordance with the guidelines issued by the Central Pollution Control Board with the approval of the Central Government.

(8) The operation of the platform established under sub-rule (7) shall be operated and regulated in accordance with guidelines made by the Central Government on the recommendation of the Central Pollution Control Board.

(9) The Central Pollution Control Board shall fix the highest and lowest price for exchange of extended producer responsibility certificates which shall be equal to hundred per cent and thirty per cent, respectively of the environmental compensation for non-fulfilment of extended producer responsibility obligation under rule 60.

(10) The exchange price of extended producer responsibility certificate between registered entities through the portal shall be between the highest and lowest prices referred to in sub-rule (9).

**50. Online portal**. -(1) The Central Pollution Control Board shall establish an online portal for the registration and filing of half yearly and annual returns, fulfilling and transaction of extended producer responsibility certificate and sharing of other relevant information.

(2) The portal shall act as the single point data repository for management and implementation of extended producer responsibility of non-ferrous metals.

(3) The online portal shall be functional by the Central Pollution Control Board within six months from the date of commencement of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) (Amendment) Rules, 2025 and all activities related to the implementation of the extended producer responsibility shall be done in online manner.

(4) The Central Government may, if it is satisfied that it is necessary so to do in the public interest or for effective implementation of these rules, by order, relax any period within which any return or report is to be filed under these rules by a producer, collection agents, refurbisher and recycler thereof, for a further period not exceeding nine months.

51. Responsibilities of the manufacturer. -(1) Every manufacturers shall register itself on the portal.

(2) The manufacturer shall collect scrap of non-ferrous metals and waste generated during the manufacture of products and their components or consumables or parts or scraps and ensures its recycling or disposal.

(3) A manufacturer shall use the domestically recycled materials for the manufacture of new product as per the Schedule-XIII which shall be assessed in respect of the total weight of the new product.

Provided that where it is not possible to meet the obligation in respect of use of domestically recycled materials on account of statuary or technical requirements, the exemption may be granted by the Central Pollution Control Board on case to case basis.

*Note 1.* Statutory requirement means the case where use of recycled material is not allowed by any other law in force.

*Note 2.* Technical requirement means the case where use of recycled material renders the product unfit for intended use.

(4) The manufacturer shall file a half yearly return in the form on the portal on or before 31st October of every year and shall also file annual return on or before  $30^{\text{th}}$  June following the financial year to which that return relates.

(5) In the case of the manufacturer is having multiple offices, it may file a single annual return combining information from all the offices.

(6) The liability of minimum use of recycled material shall be ensured through purchase of recycled material from the registered recycler only.

52. Responsibility of producers. -(1) Every producer of scrap of non-ferrous metals shall register itself on the portal.

(2) A producer shall file on the portal an half yearly returns in the form provided on the portal on or before 31<sup>st</sup> October of every year and shall also file an annual returns in the form provided on the portal on or before 30<sup>th</sup> June following the financial year to which that return relates.

(3) A producer shall create awareness through media, publications, advertisements, posters or any other means of communication.

(4) The producer shall ensure environmentally sound management of scrap of non-ferrous metals and the collection and transport of scrap of non-ferrous metals.

53. Responsibility of collection agent. -(1) The collection agents shall register itself on the portal and shall collect end of life scrap of non-ferrous metals from the manufacturer, producers, bulk consumers and supply to the registered recycler and upload information relating thereto on the portal.

(2) The collection agent shall file on the portal a half yearly returns in the form provided on the portal on or before  $31^{st}$  October of every year and shall also file an annual returns in the form provided on the portal on or before  $30^{th}$  June following the financial year to which that return relates.

54. Responsibilities of refurbisher. -(1) Every refurbisher shall register itself on the portal and may collect scrap of non-ferrous metals/ used product of non-ferrous metals as listed in Schedule-XII and their components or consumables or parts or scrap and ensure its refurbishing.

(2) The refurbisher shall file on the portal a half yearly returns in the form provided on the portal on or before  $31^{st}$  October of every year and shall file an annual returns in the form provided on the portal on or before  $30^{th}$  June following the financial year to which that return relates.

(3) The refurbisher shall ensure that the used product made of non-ferrous metals listed in Schedule-XII is refurbished in environmentally sound manner.

(4) The refurbisher shall ensure that waste generated during the process of refurbishing is handed over to the waste to registered recycler or disposal facility.

**55. Responsibilities of the recycler.** – (1) Every recycler shall register itself on the portal.

- (2) The recycler shall ensure that the facility and recycling processes are in accordance with these rules.
- (3) The recycler shall ensure that no damage is caused to the environment during storage, transportation and recycling of scrap of non-ferrous metals.
- (4) The recycler shall ensure that the residue generated during the recycling process is disposed of in accordance with prevalent rules and regulations.
- (5) The recycler shall file on the portal a half yearly returns in the form provided on the portal on or before 31<sup>st</sup> October of every year and shall also file an annual returns in the form provided on the portal on or before 30<sup>th</sup> June following the financial year to which that return relates.
- (6) The recycler shall maintain a record of scrap of non-ferrous metals received by it and the quantity of scrap recycled, not recycled or disposed of and upload such record on the portal on regular basis.
- (7) The recycler shall ensure that the fractions or material which cannot be recycled in its facility are sent to other registered recyclers where it can be recycled.

## 56. Responsibilities of the bulk consumers. – The bulk consumers shall.-

(1) set up collection points to facilitate collection agents in the collection and transportation of scrap of non-ferrous metals from their premises; and

(2) ensure that scrap of non-ferrous metals generated by them shall be handed over only to registered recyclers or refurbisher or producers or collection agents.

**57. Responsibilities of the Central Pollution Control Board**. – (1) The Central Pollution Control Board shall. –

- (a) ensure operation and maintenance of portal and monitoring of extended producer responsibility compliance;
- (b) ensure coordination with State Pollution Control Boards;
- (c) prepare and issue Guidelines and Standard Operating Procedures for registration on the portal, extended producer responsibility certificate generation, fulfilment of obligation, filing of returns and for collection, storage, transportation, recycling and disposal of scrap of non-ferrous metals under these rules and also on any other issue for smooth implementation of these rules from time to time;
- (d) prepare and issue necessary forms or returns for implementation of these rules;
- (e) conduct random checks for ascertaining compliance of these rules and for that purpose the Board may take the help of any other agency and take necessary action under the provisions of the Act and these rules, as may be considered appropriate;
- (f) take action against violation of these rules;
- (g) conduct training programmes to develop capacity building including that of State Pollution Control Board and Urban Local Bodies officials of State Governments;
- (h) conduct awareness programmes.
- (2) The Central Pollution Control Board shall prepare and submit an annual report to the Central Government containing the details of information relating to implementation of these rules.

58. Responsibilities of the State Governments or Union territories or Municipalities or local bodies or the State Pollution Control Board. -(1) The Department of Industry in the State and Union territory or any other relevant Government agency of the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, shall -

- (a) ensure earmarking or allocation of industrial space or shed for collection of scrap of non-ferrous metals and recycling units in the existing and upcoming industrial parks, estates and industrial clusters;
- (b) ensure recognition and registration of workers involved in recycling;
- (c) undertake industrial skill development activities for the workers involved in recycling of scrap of non-ferrous metals;
- (d) undertake annual monitoring and ensure the safety & health of workers involved in re-cycling of scrap of non-ferrous metals.
- (2) Municipalities and Local Bodies, shall
  - (a) facilitate manufacturers, producers, bulk consumers or collection agents to set up a large number of collection points for collection of scrap of non-ferrous metals in their jurisdictional areas;
  - (b) ensure that scrap of non-ferrous metals, if found mixed with Municipal Solid Waste, is properly segregated, collected and channelized to registered entities involved in recycling;
  - (c) conduct training sessions to develop the capacities of the Urban Local Bodies;
  - (d) ensure that scrap of non-ferrous metals pertaining to orphan products is collected and channelized to the registered recycler.
- (3) State Pollution Control Boards and Pollution Control Committees of Union territories, shall
  - (a) ensure proper implementation of these rules in coordination with the Central Pollution Control Board;
  - (b) facilitate the setting up of collection points by the collection agents;
  - (c) monitor the compliance of extended producer responsibility as directed by the Central Pollution Control Board;
  - (d) conduct random inspection of producers or collection agents or refurbisher or recyclers;

(e) create awareness through media, publications, advertisements, posters or any other means of communication; and perform any other function by the Central Government under these rules.

**59. Responsibilities of the Bureau of Indian Standards (BIS).** – The Bureau of Indian Standards shall revise existing standards and issue necessary standards with respect these rules within six months from the date of commencement of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) (Amendment) Rules, 2025.

**60.** Environmental compensation. -(1) Where any manufacturer, producer, collection agent, refurbisher and recycler either registered or not registered fails to comply with any provisions of these rules, thereby causing loss, damage or injury to environment or public health, he shall be liable to pay environment compensation in accordance with the guidelines issued by the Central Pollution Control Board.

(2) No environmental compensation shall be imposed under this rule without giving the producer, recycler, manufacturers, refurbisher and any entity either registered or not registered, an opportunity of being heard in this matter.

(3) Environmental compensation under sub-rule (1) may be imposed and collected by the Central Pollution Control Board.

(4) The payment of environmental compensation shall not absolve the producer from the extended producer responsibility target as specified in these rules and the unfulfilled extended producer responsibility target for a particular year shall be carried forward to the next year and so on and up to three years.

(5) Where manufacturer or producer or collection agent or refurbisher or recycler subsequently complies with the obligation, the amount of environment compensation paid by him may be returned to him, if the obligation is compiled. -

- (a) within one year, 85% of the environment compensation;
- (b) within two years, 60% of the environment compensation;
- (c) within three years, 30% of the environment compensation; and
- (d) after three years no environmental compensation shall be returned to the producer.

(6) If any false information is furnished resulting in over generation of extended producer responsibility certificates by recycler above five per cent of the actual recycled scrap of non-ferrous metals, it may result in revocation of registration temporarily and imposition of environmental compensation which shall not be returnable. Violation of provisions of these rules for three times or more shall result in permanent revocation of registration over and above the environmental compensation charges.

(7) The environmental compensation paid under these rules shall be kept in a separate account maintained by the Central Pollution Control Board.

(8) The amount of environmental compensation paid under these rules shall be utilised for restoration of loss, damage or injury caused to environment or public health through environmentally sound management including collection and recycling or end of life disposal of uncollected and non-recycled or non-end of life disposal of scrap of non-ferrous metals and remediation or removal of contamination occurred due to unscientific management of scrap of non-ferrous metals.

**61.** Action for contravention. – Any person who fails to comply or contravenes the provisions of these rules shall also be liable to action in accordance with the provisions of section 15 of the Act.

**62.** Verification and audit. - (1) The Central Pollution Control Board by itself or through a designated agency shall audit the manufacturer, producers, collection agents, refurbisher and recyclers through inspection and periodic audit, as deemed appropriate and take actions against violations under rule 60 of these rules.

(2) An audit fee may be charged by the Central Pollution Control Board from registered entities.

**63.** Steering Committee. -(1) There shall be a Steering Committee constituted by the Central Government to oversee the implementation of extended producer responsibility under t these rules, consisting of the following members, namely:-

- (a) the chairperson of the Central Pollution Control Board Chairperson;
- (b) one representative each of the Ministries or Department of the Central Government dealing with -

(i) Environment, Forest and Climate Change (ii) Mines;

- (iii) Steel;
- (c) one representative each representing the manufacturer and producer associations;
- (d) one representative of recycler associations;
- (e) one representative of the Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development and Design Centre, Nagpur, Maharashtra 440023;
- (f) one representative of the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee on rotation basis;
- (g) one representative of Urban and Rural Departments of States Government or Union territory Administrator on rotation basis;
- (h) Member Secretary of the Central Pollution Control Board;
- (i) The in charge of the Division of the Central Pollution Control Board dealing with non- ferrous metals Member Convener.

(2) The Steering Committee may co-opt any other member if considered necessary.

(3) The Steering Committee shall be responsible for the overall implementation, monitoring and supervision of these rules.

(4) The Steering Committee shall also decide upon the disputes arising from time to time on the representations received in this regard, and shall refer to Central Government any substantial issue arisen or pertaining to these rules.

(5) The Steering Committee shall review and revise the targets of recycling in view of the technological advancements and other factors and make recommendations to the Central Government.

(6) The Steering Committee shall take all such measures, as it deems necessary for the proper implementation of the provisions of these rules.

**64.** Application of other provisions of these rules. - The provisions relating to hazardous wastes under these rules shall also apply to utilisation and management of scrap of non-ferrous metals under these rules.'

3. In the said rules, after Schedule-IX, the following schedules shall be inserted namely:-

### 'Schedule – X

### [See rules 44(a), 44(b), 44(j), 44 (l), 44 (n), 44 (p) and 46(1)]

### The list of products made of non-ferrous metals

S. No.	Products			
1.	Cans for beverages, aerosols and other such product			
2.	Packaging Foils for food, pharma and other such product			
3.	Doors, windows, shutters			
4.	Aluminium Composite Panel			
5.	Aluminium partitioning, grills and other such product			
6.	Utensils (cookware, canisters, storage and other such product)			
7.	Furniture tables, chairs, benches, ladders etc. including doorknobs, handles, hardware's			

8.	Roofing and Ceiling sheets					
9.	Motors, pumps, alternators and other such product (other than automobile grade)					
10.	Conductor cables and Wires, strips (other than automobile grade)					
11.	Sanitary ware and fittings					
12.	Electrical fittings (other than automobile grade)					
13.	Aluminium Alloy Bicycle					
14.	Transformer (other than automobile grade)					
15.	Electric Generator sets					
16.	Centralized air conditioning plants					
17.	Apparel products e.g. Belt Buckles, Zip, Shoes					
18.	Toys					

## Schedule-XI [See rules 44 (g), 44(r) and 46(1)]

### **Extended Producer Responsibility obligation of Producer**

Sl. No.	Year (Y)	Recycling Target (by weight)			
(i)	2026-2027	10% of the quantity of products made of non-ferrous metals in year Y-X, where 'X'			
		is the average life of the product			
(ii)	2027-2028	10% of the quantity of products made of non-ferrous metals in year Y-X, where 'X'			
		is the average life of the product			
(iii)	2028-2029	30% of the quantity of products made of non-ferrous metals in year Y-X, where 'X'			
		is the average life of the product			
(iv)	2029-2030	30% of the quantity of products made of non-ferrous metals in year Y-X, where 'X'			
, í		is the average life of the product			
(v)	2030-2031	50% of the quantity of products made of non-ferrous metals in year Y-X, where 'X'			
(*)	2030-2031	is the average life of the product			
		is the average me of the product			
(vi)	2031-2032	50% of the quantity of products made of non-ferrous metals in year Y-X, where 'X'			
(*1)	2031-2032	is the average life of the product			
		is the average me of the product			
(vii)	2032-2033	75% of the quantity of products made of non-ferrous metals in year Y-X, where 'X'			
(*11)	onwards	is the average life of the product			
(viii)		ished after 1 <sup>st</sup> April, 2026, the extended producer responsibility obligation will start			
(*****)		ars and shall be as per the target prescribed above.			
(:)	-				
(ix)		d producer responsibility obligation for importers of used devices or products or scrap us metals in the year $(\mathbf{X})$ shall be 100 per cent of the non-formula metals imported in			
	of non-ferrous metals in the year (Y) shall be 100 per cent of the non-ferrous metals imported in the year (Y-1).				
<u> </u>					
	Note:				

(1) Recycling target may be reviewed and increased after the end of year 2033-2034.

(2) Average life of products made of aluminium or copper or zinc or their alloys shall be specified by the Central Pollution Control Board.

### Schedule – XII

### [See rules 44(b), 44(s), 48 (1), 54(1), 54(3)]

#### List of products made of non-ferrous metals allowed for refurbishing

Sl. No.	Products			
1.	Doors, windows, shutters			
2.	Aluminium Composite Panel			
3.	Aluminium partitioning, grills and other such product			
4.	Furniture tables, chairs, benches, ladders etc. including doorknobs, handles, hardware's			
5.	Motors, pumps, alternators and other such product			
6.	Sanitary ware and fittings			
7.	Electrical fittings			
8.	Aluminium Alloy Bicycle			
9.	Transformer			
10.	Electric Generator sets			
11.	Centralized air conditioning plants			

### Schedule-XIII

### [See rule 51(3)]

#### Minimum use of recycled materials in new product made of non-ferrous metals

Sl. No.	Type of Metal	Minimum use of recycled materials*			
		2028-29	2029-30	2030-31	2031-32
(i)	Aluminium	5	10	10	10
(ii)	Copper	5	10	15	20
(iii)	Zinc	5	10	15	25

\* This percentage is with respect to the total quantity of the non-ferrous metal used in manufacturing of that product.'.

## [F.No. 12/84/2024-HSMD] NEELESH KUMAR SAH, Jt. Secv.

**Note.-** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), *vide* number G.S.R. 395(E), dated the 4<sup>th</sup> April, 2016 and subsequently amended vide number G.S.R. 670(E), dated the 6<sup>th</sup> July, 2016; number G.S.R. 177(E), dated the 28<sup>th</sup> February, 2017; number G.S.R. 544(E), dated the 11<sup>th</sup> June, 2018; number G.S.R. 178(E), dated the 1s<sup>th</sup> March, 2019; number G.S.R. 641(E), dated the 9<sup>th</sup> October, 2020; number G.S.R. 47(E), dated the 27<sup>th</sup> January, 2021; number G.S.R. 798(E), dated the 12<sup>th</sup> November, 2021; number G.S.R. 593(E), dated the 21<sup>st</sup> July, 2022 and number G.S.R. 677(E) dated the 18<sup>th</sup> September, 2023; number G.S.R. 177(E) dated 12<sup>th</sup> March, 2024 and G.S.R. 698(E) dated the 12<sup>th</sup> November, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.